राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार"

-: <u>न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), नागौर</u> :-

बइजलास श्रीमती प्रतिष्ठा पिलानिया आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या 01/2015

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1 जंवरीलाल पुत्र भगवानाराम		1 भंवरलाल पुत्र बद्रीराम जाति माली निवासी गंठीयास नागौर
2 पूर्णमल पुत्र भंवरलाल जातियान टाक निवासीगण चैनार बास जगावता तहसील व जिला नागौर		2 बस्तीराम पुत्र बद्रीराम
		3 रामपाल पुत्र बद्रीराम जाति माली निवासीगण चैनार तहसील व जिला नागौर
		4 गोपाल पुत्र रूघनाथ फौत के कायम मुकामान
		4/1 झूमरराम
		4/2 रामनिवास
		4/3 प्रेमसुख पुत्र गोपाल
		4/4 अलकू बाई पुत्री गोपाल
		5 हीरा पुत्र रूघनाथ
		6 खींयाराम पुत्र प्रभूराम
		7 मंगलाराम पुत्र प्रभूराम जातियान माली
		8 निवासीगण चैनार तहसील व जिला नागौर बस्तीराम पुत्र किशनलाल
		9 बाबूलाल पुत्र किशनलाल
		10 पापालाल पुत्र किशनलाल
		11 हुक्मीचन्द पुत्र किशनलाल जातियान माली निवासीगण जगावता बास चैनार तहसील व जिला नागौर
		12 बंशीलाल पुत्र किशनलाल फौत के कायम मुकामान
		10/1 मोहनी देवी पत्नी बंशीलाल
		10/2 नेमीचन्द
		10/3 गुलाबचन्द
		10/4 लाल बहादुर पुत्रगण बंशीलाल
		10/5 मंजू पुत्री बंशीलाल जातियान माली निवासी जगावता बास चैनार तहसील व जिला नागौर
		13 कानाराम
		14 पापालाल
		15 रामकुमार
		लक्ष्मीनारायण पुत्र रामदयाल जातियान माली
		16 निवासी गंठीयास जिला नागौर
		श्रीराम पुत्र रामदयाल के कायन मुकामान
		13/1 बाउडी बाई पत्नी श्रीराम
		13/2 हडमान पुत्र श्रीराम
		13/3 पिंकी पुत्री श्रीराम
		17 रामस्वरूप पुत्र हरीराम
		18 नेघराम पुत्र हरीराम जातियान माली निवासीगण चैनार बास जगावता नागौर
		19 भंवरलाल
		20 जंवरीलाल पुत्र भगवानाराम
		21 घनाराम पुत्र रूघनाथ समस्त जातियान माली
		22 निवासीगण चैनार बास जगावता नागौर
		23 नितिन पुत्र हनुमानसिंह टाक जाति माली निवासी चैनार बास जगावता तहसील व जिला नागौर
		24 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर

Jlain

सहायक कलक्टर
(SDO), नागौर

दावा घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवाडा
अधीन धारा 88 व 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

निर्णय

दिनांक :–

वादीगण की ओर से निम्न वाद प्रस्तुत कर इश्तदुआ की कि :–

1 यह है कि, वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 की कब्जा काश्त एवं सहकाश्तकारी एवं खातेदारी के खेताय खसरा नम्बर 364, 366, 367, 369, 373, 374, 375, 376, 377, 378 व 379 कुल 11 रकबा क्रमशः 3.16 बीघा, 0.01 बीघा, 0.02 बीघा, 1.14 बीघा, 1.00 बीघा, 1.01 बीघा, 1.03 बीघा, 1.16 बीघा, 2.19 बीघा, 0.13 बीघा, 1.00 बीघा कुल 15.05 बीघा वाके सरहद चैनार तहसील नागौर में स्थित है। इन खेताय में पापालाल, छोटमल, ओमप्रकाश, बाबूलाल पुत्रगण रामप्रसाद का 1/8 हिस्सा था जिसमें से दिनांक 05.01.2013 को पापालाल, छोटमल, ओमप्रकाश व बाबूलाल द्वारा अपना हक त्याग सदासुख पुत्र रामप्रसाद के पक्ष में करने में नामान्तरकरण संख्या 934 के जरिये केवल सदासुख पुत्र रामप्रसाद के नाम खातेदार हुआ। उसके पश्चात दिनांक 05.06.2013 को सदासुख पुत्र रामप्रसाद ने अपना पक्ष में 1/8 हिस्सा का पंजीयन करवा लिया तथा पंजीयन की रजिस्ट्री अपने नाम से करवाली तथा वादीगण के नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 960 दिनांक 05.06.2013 के जरिये वादीगण के नाम खातेदारी अंकित कर ली, जो राजस्व रेकर्ड में मौजूद है।

2 यह है कि, वादीगण ने जिन व्यक्तियो से खरीद की थी उनके तथा उनके काश्तकारो के बीच उक्त जमीन का जुबानी बंटवाडा हो रखा था एवं बंटवाडे के अनुसार खेत खसरा नम्बर 369 रकबा 1.14 बीघा वाके चैनार उनके तथा उनसे खरीदने के पश्चात वादीगण के बंट में रखा है तथा आज दिन भी खेत खसरा नम्बर 369 रकबा 1.14 बीघा पर वादीगण का कब्जा काश्त एवं खातेदारी में था जिसमें से वादीगण ने अपने खरीदशुदा व बंट में आये खसरा नम्बर 369 रकबा 1.14 बीघा मे से उतरी पूर्वी कोने पर 1/8 हिस्सा का 1/8 भाग यानी 3 बिस्वा 8.8 बिश्वासी = 331.80 वर्गगज यानी 2985.25 वर्गफुट जमीन प्रतिवादी संख्या 23 नितिन पुत्र हनुमानसिंह को दिनांक 29.10.2013 को विक्रय कर उसके पक्ष में पंजीयन करवा दिया है नकल बेचान साथ वाद पेश है। इस प्रकार खसरा नम्बर 369 रकबा 1.14 बीघा मे से 0.10 बीघा तथा 12.02 बिश्वासी वादीगण के तथा 3 बिस्वा 8.8 बिश्वासी प्रतिवादी संख्या 23 नितिन के कब्जे काश्त खातेदारी एवं बंट में रखा है तथा इस प्रकार से वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 23 के कब्जे काश्त खातेदारी एवं बंट में है तथा शेष रकबे पर अपने खातेदारी के अनुसार तथा जुबानी बंट के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 से 22 तक काबिज है तथा उनके काश्तकारी में चली आ रही है जो उनके यथावत रखी जानी न्यायोचित है।

3 यह है कि, वादीगण मे से वादी संख्या 1 जंवरीलाल व वादी संख्या 2 के पिता भंवरलाल का शेष भाग में भी अन्य काश्तकारो एवं खातेदारी के साथ 1/8 हिस्से पर भी कब्जा काश्त है वो भी उनका यथावत उसी प्रकार रहेगा। परन्तु खसरा नम्बर 369 रकबा 1.14 बीघा का एकमात्र कब्जा काश्त एवं बंट उपरोक्त वाद के पैरा संख्या 2 के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 23 नितिन के बंट व खातेदारी का है परन्तु खाते मे संयुक्त नाम होने से अपना बंट अलग से खातेदारी में घोषित कराना आवश्यक हो गया है क्योकि वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 23 नितिन खसरा नम्बर 369 रकबा 1.14 बीघा के अपने अपने हिस्से उपरोक्त पैरा संख्या 2 वाद के अनुसार पूर्ण रूप से काबिज है तथा उसी अनुसार अपने बंट में तथा खातेदारी में घोषित कराने के अधिकारी है जिसने यह वाद बाबत घोषणा हक खातेदारी एवं बंट का श्रीमान् जी की सेवामें पेश करना आवश्यक हो गया है। वादीगण को अपने हिस्से का रहन सहन, निर्माण कार्य कराना तथा कुछ हिस्सा हस्तान्तरण करना है जबकि संयुक्त खाता होने से ऐसा संभव नही है जिससे यह वाद बाबत घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवाडा का प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

4 यह है कि, वादीगण खसरा नम्बर 369 रकबा 1.14 बीघा पर वैधानिक रूप से प्रतिवादी संख्या 23 नितिन के साथ उसके हिस्से पर नितिन के रखते हुए काबिज है काश्त करते है तथा सहकाश्तकारी एवं सहखातेदारी में होने से उक्त प्रकार से बंटवाडा करवाने के अधिकारी है जिसके

सहायक कलक्टर
(SDO), नागौर

लिये वाद श्रीमान् की सेवामें पेश है।

5 यह है कि, यह जमीन ग्राम चैनार तहसील नागौर में स्थित होने से यह वाद श्रीमान् के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में होने से श्रीमान् के यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

6 यह है कि, बिनायवाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 05.06.2013 को खसरा नम्बर 369 रकबा 1.14 बीघा सदासुख पुत्र रामप्रसाद से खरीदने तथा उसमे से 3 बिस्वा 8.8 बिश्वासी प्रतिवादी नितिन को दिनांक 29.10.2013 को विक्रय करने से बमुकाम चैनार पैदा हुआ जो श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में है।

7 यह है कि, यह वाद वादीगण प्रस्तुत कर निवेदन वादीगण है कि बाद जांच वाद डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार से सादिर फरमाई जावे कि :–

क. यह है कि, खेत खसरा नम्बर 369 रकबा1.14 बीघा मे से 1.10 बीघा व 12.12 बिश्वासी वादीगण के तथा शेष हिस्सा उतरी पूर्वी हिस्सा 3 बिश्वा 8.8 बिश्वासी प्रतिवादी संख्या 23 नितिन के कब्जा काश्त खातेदारी एवं बंट की घोषित की जावे।

ख. यह है कि, शेष खातेदारो के इस खाते के शेष खेताय उनके खाते मे उनके हिस्से के अनुसार यथावत रखा जावे।

ग. यह है कि, वादीगण व प्रतिवादी संख्या 23 नितिन के पक्ष में खसरा नम्बर 369 रकबा 1.14 बीघा का नामान्तरकरण हेतु उपरोक्त रिलीफ के पैरा संख्या 1 के अनुसार पालनार्थ तहसीलदार नागौर को लिखा जावे।

घ. यह है कि, अन्य दादरसी लाभार्थ वादीगण हो प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादी संख्या 1,2,4/2, 5,6,7,10/3,10/4,10/5,13,14,15,16,17/1,17/2,17/3,4/1,4/4, 9,10,10/1,18,19,21,22,23 को बावजूद सूचना उपस्थित नही रहने इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की तथा वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद का प्रतिवादी संख्या 20, 3, 10/2, 8 की ओर से निम्न जवाब प्रस्तुत कर इश्तदुआ की कि :–

1 यह है कि, वाद पत्र का पैरा संख्या 1 सही होने से स्वीकार है।

2 यह है कि, वाद पत्र का पैरा संख्या 2 सही होने से स्वीकार है। वादग्रस्त तमाम खेताय मे से सदासुख ने अपने हिस्से का 1/8 भाग जंवरीलाल व पूर्णमल को विक्रय किया गया है।

3 यह है कि, वाद का पैरा संख्या 3 सही होने से स्वीकार है।

4 यह है कि, वाद का पैरा संख्या 4 सही होने से स्वीकार है।

5 यह है कि, वाद का पैरा संख्या 5 सही होने से स्वीकार है।

6 यह है कि, वाद का पैरा संख्या 6 सही होने से स्वीकार है।

7 यह है कि, वाद पत्र का पैरा संख्या 7 अनुतोष से संबंधित है जिस प्रकार से अनुतोष में कब्जा काश्त एवं खातेदारी बंट दर्शाये गये है उसी अनुसार पक्षकारान आज दिन काबिल काश्त है। जिसमें दर्शाई गई बंटवाडा स्किम के अनुसार यदि वाद डिक्री किया जाता है कि मुझ प्रतिवादी को कोई आपत्ति एवं एतेराज नही है।

वादी ने वाद के समर्थन में वादी जंवरीलाल के बयान करवाये एवं दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत किये। पत्रावली लोक अदालत न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुई। बहस वकुलाय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। कई प्रतिवादीगणो ने इकबाली जवाब प्रस्तुत कर वादी के वाद को स्वीकार किया है। बकाया प्रतिवादीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही हुए है। पत्रावली में प्रस्तुत नकल खतौनी से यह साबित है कि वादग्रस्त खेताय के वादीगण सहखातेदार दर्ज साबित है। अतः राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर निम्न से डिक्री किया जाता है।

क. ग्राम चैनार के खेत खसरा नम्बर 369 रकबा 1.14 बीघा मे से 1.10 बीघा व 12.12 बिश्वांसी वादीगण के तथा शेष हिस्सा उतरी पूर्वी हिस्सा 3 बिश्वा 8.8 बिश्वासी प्रतिवादी संख्या 23 नितिन के तन्हा बंट कब्जे काश्त व खातेदार में घोषित किये जाते है शेष खातेदारो के इस खाते के शेष

सहायक कलक्टर
(SDO), नागौर

खेताय उनके खाते में उनके हिस्से अनुसार यथावत रखे जाते है।

इसी अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। आवश्यक स्टाम्प डयूटी प्रस्तुत होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार नागौर को लिखा जावे।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

सहायक कलक्टर
(SDO), नागौर

निर्णय दिनांक 30.05.2016 को मेरे द्वारा मजमे आम में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

सहायक कलक्टर
(SDO), नागौर

राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार"

-: *न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), नागौर* :-

डिगरी बमुकद्दमे इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) मुकाम नागौर

बइजलास श्रीमती प्रतिष्ठा पिलानिया आर.ए.एस

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1 जंवरीलाल पुत्र भगवानाराम		1 भंवरलाल पुत्र बद्रीराम जाति माली निवासी गंठीयास नागौर
2 पूर्णमल पुत्र भंवरलाल जातियान टाक निवासीगण चेनार बास जगावता तहसील व जिला नागौर		2 बरतीराम पुत्र बद्रीराम
		3 रामपाल पुत्र बद्रीराम जाति माली निवासीगण चेनार तहसील व जिला नागौर
		4 गोपाल पुत्र रूघनाथ फौत के कायम मुकामान 4/1 डूगरराम 4/2 रामनिवास 4/3 प्रेमसुख पुत्र गोपाल 4/4 अलकू बाई पुत्री गोपाल
		5 हीरा पुत्र रूघनाथ
		6 खींयाराम पुत्र प्रभूराम
		7 मंगलाराम पुत्र प्रभूराम जातियान माली
		8 निवासीगण चैनार तहसील व जिला नागौर बस्तीराम पुत्र किशनलाल
		9 बाबूलाल पुत्र किशनलाल
		10 पापालाल पुत्र किशनलाल
		11 हुक्मीचन्द पुत्र किशनलाल जातियान माली निवासीगण जगावता बास चैनार तहसील व जिला नागौर
		12 बंशीलाल पुत्र किशनलाल फौत के कायम मुकामान 10/1 मोहनी देवी पत्नी बंशीलाल 10/2 नेमीचन्द 10/3 गुलाबचन्द 10/4 लाल बहादुर पुत्रगण बंशीलाल 10/5 मंजू पुत्री बंशीलाल जातियान माली निवासी जगावता बास चैनार तहसील व जिला नागौर
		13 कानाराम
		14 पापालाल
		15 रामकुनार लक्ष्मीनारायण पुत्र रामदयाल जातियान माली
		16 निवासी गंठीयास जिला नागौर श्रीराम पुत्र रामदयाल के कायम मुकामान 13/1 बाउडी बाई पत्नी श्रीराम 13/2 हडमान पुत्र श्रीराम 13/3 पिंकी पुत्री श्रीराम
		17 रामस्वरूप पुत्र हरीराम
		18 मेघराम पुत्र हरीराम जातियान माली निवासीगण चैनार बास जगावता नागौर
		19 भंवरलाल
		20 जंवरीलाल पुत्र भगवानाराम

सहायक कलक्टर
(SDO),नागौर

21 घनाराम पुत्र रुघनाथ समस्त जातियान माली
22 निवासीगण चैनार बास जगावता नागौर
23 नितिन पुत्र हनुमानसिंह टाक जाति माली निवासी चैनार बास जगावता तहसील व जिला नागौर
24 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर

दावा राजस्व मुकद्दमा 01/2015 सन् 2016

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू ....व हाजरी...मिनजानिब मुद्दई व ....मिनजानिब मुद्दायलाइ पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है ग्राम चैनार के खेत खसरा नम्बर 369 रकबा 1.14 बीघा मे से 1.10 बीघा व 12.12 बिश्वांसी वादीगण के तथा शेष हिस्सा उतरी पूर्वी हिस्सा 3 बिश्वा 8.8 बिश्वासी प्रतिवादी संख्या 23 नितिन के तन्हा बंट कब्जे काश्त व खातेदार में घोषित किये जाते है शेष खातेदारो के इस खाते के शेष खेताय उनके खाते में उनके हिस्से अनुसार यथावत रखे जाते है।

.... लीज.. मुबलिक...बाबत्..............................खर्चा इस मुकद्दमे मय सूद व शहर..फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक..को अदा करें। बसीब्त तेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख............................माह..............................सन् 20..

दस्तखत..........................
ओहदा.......... सहायक कलक्टर (SDO), नागौर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दयला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह साबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीशनर		
फीस कमीश्नर			बाबत इजसय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मीजान			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मिजान		